संख्या-2/2019/2150/46-1-18-1701/2017

प्रेषक,

कमल किशोर गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी एवं गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 15 जनवरी, 2019

विषयः-वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के लेखाशीर्षक 2852 में मानक मद 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-83/लेखा-बजट (चीनी) 2018-19, दिनांक 01.11.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-24 (चीनी) लेखाशीर्ष- "2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान-01-वेतन" में प्राविधानित धनराशि रू. 139.60 लाख में हो रही बचतों में से रू. 2.00 लाख (रूपये दो लाख मात्र) को लेखाशीर्ष-"2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान-15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद" मद में संलग्न प्रारूप (बी.एम.-9 भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पुनर्विनियोजित धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा व्यय केवल उक्त स्वीकृत मद में ही किया जाये, प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। यदि उक्त धनराशि व्यय नहीं हो पाती है, तो उसे दिनांक 31-03-2019 तक वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

3- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उक्त में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4- बजट मैनुअल तथा शासन के अस्थायी निर्देशों के अनुपालन में निर्धारित प्रारूपों में (बी.एम.-13) व्यय की सूचना शासन के वित्त विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग को वर्ष के अन्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय अनुदान संख्या-24 लेखाशीर्षक "2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान-15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-6-986/दस-2018, दिनांक 07 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त (बी.एम.-9 भाग-1 प्रपत्र)

भवदीय,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2/2019/2150(1)/46-1-18-02-1701/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
6- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नामः-24 (चीनी)
वित्तीय वर्षः 2018-19
प्रपत्र-बी.एम.-9 (भाग-1)

(धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष)15 डिजिट कोड में आयोजनागत(	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदानविनियोग/	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान /)विनियोग2-5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या-24(चीनी(लेखाशीर्षः- **2852-उद्योग** **08-उपभोक्ता उद्योग** **001-निदेषन तथा प्रशासन** **03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान** **01-वेतन**	139.60	2.50	2.50	2.00	137.60
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष)15 डिजिट कोड में आयोजनेतर(	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदानविनियोग /	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि)9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान /) विनियोग8$11)
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या-24(चीनी(लेखाशीर्षकः- 2852-उद्योग 08-उपभोक्ता उद्योग 001-निदेषन तथा प्रषासन 03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5.00	7.50	2.50	2.00	7.00
योगः-	**5.00**	**7.50**	**2.50**	2.00	7.00

नोटः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कर्मचारियों/अधिकारियों के निरन्तर सेवानिवृत्ति होने एवं कोई नयी नियुक्ति न होने के कारण वेतन मदों में बचत होना सम्भावित है।प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नही होता है।

संख्याः आर.ई-250/दिनांक 08 जनवरी, 2018
सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव,
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग।

(आनन्द कुमार राय)
अनु सचिव।

संख्या-2150(2)/46-1-18-1701/2017 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- चीनी आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)।
6- गार्ड-फाईल।

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव,
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।